सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर-272202 उ०प्र०(भारत)

Website : www.suksn.edu.in, Email Id: registrarsidduniv@gmail.com

पत्रांक 1570 / कु0का0 / सि0वि0वि0 / 2021 दिनांक— —12—2021

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषयः— "राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020" के अनुसार स्नातक प्रथम सेमेस्टर (2021—22) की आंतरिक परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा—निर्देश।

महोदय,

विश्वविद्यालय में सत्र 2021—22 से शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में लागू की गई है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या—1560 / कु0का0 / सि0वि0वि0 / 2021, दिनांक 14—12—2021 के द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में आन्तरिक अंक महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गये थे।

उपरोक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार **"राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020" के अनुसार स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर (2021—22) की आंतरिक परीक्षाओं के सन्दर्भ में आवश्यक दिशा—निर्देश** जारी किया जा रहा है (संलग्न है)। अतः दिये गये निर्देशो के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक—1570/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय।
2. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वित्त अधिकारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
4. कुलसचिव, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / कुलानुशासक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
6. प्रो0 हरीशकुमार शर्मा, नोडल अधिकारी NEP – 2020 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय) सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
9. डॉ0 अविनाश प्रताप सिंह, मीडिया प्रभारी / जनसम्पर्क अधिकारी सि0वि0वि0क0 सिद्धार्थनगर।
10. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं महाविद्यालयों के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षण हेतु।

परीक्षा नियंत्रक
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' के प्रावधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2021-22) की आंतरिक परीक्षाओं के सन्दर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश

'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत सत्र 2021-22 से लागू नवीन चयन आधारित क्रेडिट पद्धति (CBCS) के स्नातक पाठ्यक्रमों के अनुरूप 25 अंक विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित हैं। माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार तत्सम्बन्ध में आंतरिक परीक्षा पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जानी अपेक्षित है-

1. 03 मुख्य (मेजर) विषयों और 01 चयनित सहायक (माइनर इलेक्टिव) विषय की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर संपन्न करायी जानी है।
2. विद्यार्थियों को सत्रांत (End Semester) परीक्षा में बैठने के लिए आंतरिक परीक्षा (मिड-सेमेस्टर-टेस्ट/सेशनल-टेस्ट) में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
3. विद्यार्थियों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बंधित 25 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा-

क. उपस्थिति एवं व्यवहार :

छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति के लिए 05 अंक निर्धारित होंगे, जिनका वितरण इस प्रकार किया जायेगा-

(i) छात्र को 91%-100% उपस्थिति के लिए 05 अंक।

(ii) 86%-90% उपस्थिति के सापेक्ष 04 अंक।

(iii) 81%-85% उपस्थिति के सापेक्ष 03 अंक

(iv) 75%-80% उपस्थिति के सापेक्ष 02 अंक (परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र की 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से सम्बन्धित पूर्व-प्रचलित नियम यथावत रहेगा) तथा

(v) छात्र को विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अनुसार यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता में निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो उसे मात्र 01 अंक प्रदान किया जायेगा।

ख. प्रदत्त कार्य :

छात्र को 10 अंकों के लिए एक प्रदत्त कार्य (असाइनमेंट) पूरा करना होगा, जिसकी व्यवस्था निम्नवत होगी-

(i) प्रत्येक छात्र को तीनों मुख्य विषयों तथा एक सहायक विषय में प्रत्येक प्रश्नपत्र के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित किसी शीर्षक पर 500-1500 शब्दों तक का एक हस्तलिखित

असाइनमेंट जमा करना होगा। उक्त प्रदत्त कार्य (असाइनमेंट) का विषय/शीर्षक संबन्धित विषय के प्राध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रदत्त कार्य का मूल्यांकन प्राध्यापक द्वारा 10 अंकों में किया जायेगा।

(ii) मूल्यांकन के उपरान्त छात्र को अपने प्राप्तांक जानने के लिए असाइनमेंट देखने के लिए दिया जाएगा तथा अवलोकन के उपरान्त उसका हस्ताक्षर असाइनमेंट पर करवाते हुए उसे विभाग/महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिया जायेगा। छात्र को आवंटित अंकों के सम्बन्ध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय के अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।

(iii) (iv) छात्र द्वारा जमा किये गए असाइनमेंट को विभाग/संस्था द्वारा सेमेस्टर का अन्तिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 03 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाना होगा।

ग. लिखित परीक्षा (टेस्ट) :

सम्बन्धित प्रत्येक विषय में प्रश्नपत्रवार छात्र की 10 अंकों के लिए एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा विभाग/महाविद्यालय को आन्तरिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्पन्न करानी होगी। इस टेस्ट के लिए प्रश्न-पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा -

(i) परीक्षा मात्र एक घण्टे की होगी।

(ii) व्याख्या वाले विषयों में चार अंकों की एक व्याख्या कराई जाएगी और छह अंकों के लिए एक आलोचनात्मक/सैद्धान्तिक प्रश्न का उत्तर लिखवाया जाएगा।

(iii) अन्य विषयों में छह अंकों का एक प्रश्न दिया जाएगा और दो-दो अंकों की दो टिप्पणियाँ पूछी जाएंगी।

(iv) व्याख्या एवं प्रश्नों के एक-एक विकल्प भी रहेंगे।

आंतरिक परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं :

छात्र के आंतरिक मूल्यांकन (मिड-सेमेस्टर-टेस्ट/सेशनल-टेस्ट) की परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आन्तरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जायेंगी-

क. प्रत्येक विषय की आंतरिक परीक्षाएँ सम्बन्धित विषयाध्यापक संकाय/महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अंतर्गत सम्पन्न करायेंगे।

ख. विषयाध्यापक छात्र द्वारा अंकित उत्तरों का सापेक्षिक मूल्यांकन करेंगे अर्थात यदि छात्र ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जायेगा।

ग. मूल्यांकन के उपरान्त छात्र को उत्तर-पुस्तिका अपने प्राप्तांक देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी तथा अवलोकन के उपरान्त उसका हस्ताक्षर भी उत्तर-पुस्तिका पर करवाते हुए उसे विभाग/महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिया जायेगा। छात्र को आवंटित अंकों के सम्बन्ध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय के अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।

घ. सेशनल-टेस्ट के लिए सम्बन्धित विषयाध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्नपत्र को परीक्षा के प्रारम्भ में परीक्षा-कक्ष के ब्लैक-बोर्ड पर अंकित करते हुए छात्रों को सम्बंधित प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर लिखने के लिए निर्देशित किया जायेगा। इस कार्य में लगने वाला समय परीक्षा-अवधि के लिए निर्धारित 01 घन्टे के समय से अतिरिक्त प्रदान किया जायेगा।

ङ. प्रश्न-पत्र की भाषा (हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों) विषय की प्रकृति तथा छात्र समूह की भाषाई सुविधा के आधार पर विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

च. विषयाध्यापक द्वारा सेशनल-टेस्ट की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लाल इंक की कलम द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन-कार्य सेशनल-टेस्ट की समाप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से संपन्न करा लिया जायेगा।

छ. सेशनल-टेस्ट (आंतरिक परीक्षा) की समय-सारिणी, प्रश्न-पत्र निर्माण, परीक्षा-कक्ष की व्यवस्था, टेस्ट के उपरान्त निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन कार्य, निर्धारित अवधि में अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना एवं अन्य सम्बन्धित परीक्षा कार्यों की निगरानी महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं करेंगे अथवा इस कार्य के लिए किसी सक्षम प्राध्यापक को नियुक्त करते हुए इसकी सूचना परीक्षा-नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे।

ज. आंतरिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरान्त सम्बन्धित विषयों के अंक विश्वविद्यालय को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। सम्बन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी।

झ. प्रत्येक वर्ष के क्रम में आंतरिक परीक्षा से सम्बन्धित उत्तर-पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा वर्ष के अन्तिम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के 03 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाएगा।